न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 344/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. देवीसिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह 2. शिवसिंह पुत्र देवीसिंह 3. विक्रमसिंह पुत्र देवीसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर)		1. जयसिंह पुत्र नन्दसिंह 2. लक्ष्मी पत्नी नन्दसिंह के का0मु0– 2/1 अन्जु कंवर पुत्री नन्दसिंह 2/2 अरूणा कंवर पुत्री नन्दसिंह (जाति राजपूत, निवासी भगत की कोठी, पाली रोड़, जोधपुर) 3. विमला देवी पत्नी जवरीमल जाति ओसवाल, निवासी बी–32, शास्त्री नगर, जोधपुर 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022 दिनांक 15.06.2022

उपस्थित–
1. श्री बाबुलाल गोरा, वकील अपीलांट्स
2. श्री रामकरण खोजा, वकील रेस्पो0सं0 1, 2/2
3. श्री एस0एन0 राजपुरोहित, वकील रेस्पो0सं0 3
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर, एक्ट के तहत अपीलांट–प्रार्थीगण के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट–प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी पैतृक खातेदारी कृषि भूमि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 344 रकबा 100.14 बीघा पर कब्जा काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पूर्वज रतनसिंह का नाम आपसी मिलीभगत से हटवा कर जीवनसिंह का

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नाम अंकित करवा दिया गया, जिसे दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार से चलने योग्य नही होने से खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थीगण ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि अपीलांट–प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बनाड़ के ख0नं0 344 रकबा 100.14 बीघा आई हुई है। जिस पर जागिर समय से एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व तथा सेटलमेंट से पूर्व उनके पूर्वज स्व0 रतनसिंह खातेदार काश्तकार थे व रतनसिंह के देहांत के पश्चात अपीलांट–प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निर्बाध चला आ रहा है। रतनसिंह के नाम उक्त खसरान का पट्टा जारी किया गया था, जिसमें रेस्पो0सं0 1 व 2 ने मिलीभगत कर संवत् 2013 के कॉलम में अपने पूर्वज जीवनसिंह का नाम दर्ज करवा लिया गया, जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी है। वास्तविक्ता में जीवनसिंह नाम के व्यक्ति का उक्त खसरान में कब्जाकाश्त नही रहा है और न ही रतनसिंह ने अपने जीवनकाल में जीवनसिंह को उक्त खसरान की भूमि का बेचान हस्तांरण किया। उपरोक्त नाम किसी भी न्यायालय के आदेश अथवा अन्य कोई आदेश–निर्देश नही हटाया गया है, इससे स्पष्ट हेराफेरी जाहिर होती है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने उक्त भूमि हड़पने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर दिनांक 20.05.1955 को जीवनसिंह के पक्ष में बेचान बता रहे है, जबकि उक्त दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध नही हुआ है, जो 2 रूपये के स्टाम्प पर वर्ष 1955 का बताया हुआ है, ऐसा स्टाम्प 1955 में मुद्रित नही होता था। दूसरी ओर उक्त खसरे के अन्य व्यक्ति भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद के जवाब में जीवनसिंह द्वारा बेचान इकरारनामा के जरिये खरीद बता रहे है, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी सं0 1 से 3 बौखलाहट में भिन्न–भिन्न दस्तावेज तैयार करवाकर उक्त भूमि हडपना चाहते है। वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अवैधानिक तरीके से अप्रार्थी सं0 3 के पक्ष में 10 बीघा भूमि का बेचान किया गया, जमाबंदी में अप्रार्थी के पति व पिता का नाम नन्दसिंह दर्ज है,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जबकि बेचान में नैनसिंह अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि यह कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि हडपने की नाकाम कोशिश है। वादग्रस्त खसरान में प्रार्थीगण की रहवासिय ढाणियां, पशुओं के बाड़े, मंदिर, थान व पानी का होद इत्यादि बने हुए है व चारों ओर तारबंदी/झाली करवायी हुई है तथा प्रार्थीगण स्वयं व गांव के लोगों के साथ मिलकर खेती कार्य करते है। इस कारण राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटी से दर्ज जीवनसिंह के स्थान पर पुनः रतनसिंह दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। प्रकरण का निष्पक्ष निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 11 नियम 12 व 14 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 39 नियम 7 एवं आदेष 26 नियम 9 व 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत किए गये। जिसको रेकर्ड पर लिए बिना तथा अपीलांट को सुने बिना व बिना जानकारी के अवैधानिक तरीके से खारिज कर, जल्दबादी में मिलीभगत से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 विधिक तथ्यों के आधार पर एवं पूर्ण विवेचन के साथ पोषणीय नही होने से खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 39 नियम 7 व आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का विधिवत एवं विवेचन सहित निस्तारण कर दिया गया।

अपीलांट–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 का प्रार्थना पत्र न्यायालय को गुमराह करने के उद्धेश्य से तथा तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 8.12.12 को एक वाद बअनवान किशनकंवर व अन्य बनाम लक्ष्मीदेवी व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काष्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ग्राम बनाड़ के वादग्रस्त खसरा नम्बर 344 रकबा 100.14 बीघा का प्रस्तुत किया गया, जो स्थानांतरित होकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फास्ट ट्रेक जोधपुर के यहां मूलवाद संख्या 113/2017 दर्ज एवं विचाराधीन है। इस प्रकार एक ही प्रकार के दो प्रकरण चलने योग्य नही है। धारा 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

लिपिकीय त्रुटीवश गलत नाम दर्ज होने पर शुद्धिकरण किया जा सकता है, जबकि इस मामले में अपीलांट–प्रार्थीगण का यह अभिकथन है कि रतनसिंह वल्द सावलसिंह कौम राजपूत के नाम पट्टा बापी गांव बनाड़ तहसील जोधपुर के खसरा नं0 344 रकबा 100.14 बीघा जारी हुआ था, जो राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जीवनसिंह वल्द चौथसिंह जाति राजपूत के नाम कांट–छांट कर दर्ज कर दिया गया। जबकि पट्टा बापी गांव में नजरिये म्युटेशन नम्बर 13/55 के बापीदार रतनसिंह के बजाय जीवनसिंह का नाम दिनांक 20.05.1955 को अंकित किया गया, उक्त प्रविष्टि तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रमाणित है। जो धारा 136 के तहत पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह आग्रह किया कि वह वादग्रस्त खसरा नं0 344 की रकबा भूमि में से 10 बीघा भूमि का सद्भाविक केता है। रेस्पो0सं0 3–विमला देवी के पक्ष में उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर ना0क0सं0 5438 दिनांक 03.07.2020 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट–प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 140/2024 बअनवान देवीसिंह व अन्य बनाम जयसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2025 द्वारा खारिज कर दी गई है। जिसकी प्रति प्रस्तुत कर हस्तगत अपील के निर्णय में रेस्पो0सं0 3 के हक को सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त खसरान की भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का मूल वाद विचाराधीन है। अपीलांट–प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष, पोषणीय नही होने से, उक्त प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन उपरांत अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

आवश्यकता प्रतीत नही होती है। पक्षकार अपना पक्ष खातेदारी घोषणा के वाद में रखने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2022 अनवान देवीसिंह व अन्य बनाम जयसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23-12-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर